R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part - IInd
Paper - 1st, Family Law
Muslim Law

मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम - 1939

मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहिता स्त्रियों द्वारा विवाह के विच्छेद के लिए दायर किये जाने वालों से सम्बद्ध मुस्लिम विधि के उपबन्धों का स्पष्टीकरण और विवाहित मुस्लिम स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म के त्याग, उसके विवाह बन्धन पर प्रभावों के सम्बन्ध में संदेह को दूर करने के लिए यह अधिनियम है।

चूँकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहिता स्त्रियों द्वारा विवाहों के विच्छेद के लिए दायर किये जाने वादों से सम्बद्ध मुस्लिम वि[धि] के उपबन्धों का स्पष्टीकरण के लिए निम्नलि[खित] व्याख्या किया गया है:-

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार - (1) यह अधिनियम मुस्लिम विवाह - विघटन अधिनियम 1939 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू काश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत में होगा।

2. विवाह-विच्छेद की डिक्री के आधार :-

मुस्लिम

विधि के अधीन विवाहिता स्त्री निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर अपने विवाह के विच्छेद के लिए डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी;

(1) यह कि चार वर्षों से पति का पता नहीं है,

(2) यह कि दो वर्षों तक पति ने उसके भरणपोषण की उपेक्षा की है।

(3) यह कि पति को सात वर्षों या अधिक का कारावास का दण्डादेश हो गया है।

(4) यह कि पति ने तीन वर्षों से बिना कारण के अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं किया है।

(5) यह कि पति नपुंसक है।

(6) यह कि पति दो वर्षों से पागल है या कुष्ठ या उग्र रतिज रोग से पीड़ित है

(7) यह कि उसने 15 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने से पहले उसके पिता या दूसरे संरक्षक ने उसका विवाह कर दिया था और उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले विवाह को निराकृत कर दिया बशर्ते कि विवाह का सम्भोग न हुआ हो।

(8) यह कि पति उसके साथ निर्दयता का व्यवहार करता है;-

(क) उसे आदतन पीटता है और निर्दय आचरण द्वारा उसके जीवन को दुखी बनाता है।

(ख) बदनाम औरतों के साथ रहता है या गर्हित जीवन बीताता है।

(ग) उसे अनैतिक जीवन बीताने के लिए विवश करता है।

Scanned with CamScanner

(ख) उसकी सम्पत्ति का अन्तरण करता है या उसे उस पर वैध अधिकारों के प्रयोग से रोकता है।
(ग) उसे उसकी धार्मिक क्रियाएँ या अभ्यास करने से रोकता है।
(घ) यदि उसके एक से अधिक पत्नियाँ हैं तो उनके साथ कुरान के आदेशों के अनुसार समता का व्यवहार नहीं करता।
(ड) किसी अन्य ऐसे आधार पर जिसे मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहों के विच्छेद के लिए मान्यता प्राप्त हो;

(क) आधार (3) पर जब तक कि दण्डादेश अंतिम न हो जाय डिक्री नहीं पारित की जायगी,
(ख) आधार (1) पर पारित डिक्री की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी न होगी और यदि उस अवधि के भीतर पति स्वयं या किसी अधिकृत अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर न्यायालय को इस विषय में संतुष्ट कर दे कि वह अपने दाम्पत्य कर्तव्यों के पालन के लिए उद्यत है तो न्यायालय उस डिक्री को रद्द कर देगा।
(ग) आधार (5) पर डिक्री पारित करने से पहले पति के आवेदन पर न्यायालय पति से यह अपेक्षा करते हुए यह आदेश पारित करेगा कि वह ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के अन्दर न्यायालय को इस विषय में संतुष्ट कर दे कि वह अब नपुंसक नहीं रह गया है और यदि पति ऐसे अवधि के

(4)

और न्यायालय को इस प्रकार से तुष्ट करदे तो केवल आधार पर कोई डिक्री पारित नहीं की जाएगी।

B.

पति के लापता होने की स्थिति में पति के उत्तराधिकारियों पर तामिल की जाने वाली सूचना:—

ऐसे वाद में जिस पर धारा-2 (1)खण्ड (i) लागू हो (क) ऐसे लोगों के नाम और पते, जो वाद पत्र फाइल किये जाने की तारीख पर पति की मृत्यु होने की अवस्था में मुस्लिम विधि के अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी होते, वाद पत्र में दिये जायेंगे;

(ख) वाद की सूचना ऐसे लोगों पर तामील की जाएगी

(ग) ऐसे लोगों को वाद में सुनवाई का अधिकार होगा। परन्तु यह कि पति के चाचा और भाई यदि कोई हो, पक्ष बनाये जाएंगे, चाहे वह या वे उत्तराधिकारी हों या न हों।

5. धर्म परिवर्तन का प्रभाव:-

विवाहिता मुस्लिम स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म का त्याग या इस्लाम धर्म से भिन्न किसी धर्म का ग्रहण स्वतः उसके विवाह विच्छेद नहीं कर देगा।—

परंतु यह कि ऐसे त्याग के बाद स्त्री को धारा-2 में उल्लिखित किसी भी आधार पर अपने विवाद विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का

Scanned with CamScanner

अधिकार होगा।

परन्तु यह कि इस धारा के उपबन्ध ऐसी स्त्री पर लागू नहीं होंगे जिसने किसी दूसरे धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर लिया हो और फिर अपना धर्म ग्रहण कर ले।

5. मेहर के अधिकार अप्रभावित है- इस अधिनियम में विहित कोई भी बात किसी विवाहित स्त्री की विवाह का विच्छेद हो जाने पर मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उसके किसी अधिकार पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगी।

6. निरसन - यह धारा प्रतिस्थापित करती थी कि मुस्लिम वैयक्तिक विधि प्रयोग अधिनियम 1937 की धारा 5 एतद् द्वारा निरस्त की जाती है सन 1942 की अधिनियम संख्या 25 ने इस निरसनकारी धारा को भी निरस्त कर दिया ताकि विधि में कोई संदेह की गुंजाइश न रहे।

Scanned with CamScanner